मुद्रक—सैंहणा ऑफसैट प्रिन्टिंग प्रेस,सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

धासी बनाम रमेलाल

स्म मुकदमा रिसीवरी मु0नं0 126/14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.12.14	पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के पश्चात् यह पाया जाता है कि विवादित खसरा नं. 171 रकबा 4.11 बीघा पर कब्जे के सम्बन्ध में दोनों पक्ष अपने-अपने दावे पेश कर रहे हैं परन्तु कोई भी पक्ष यह साबित कराने में असफल रहा है कि प्रश्नगत भूमि पर undisputed possession किसी भी पक्ष का हो। उभय पक्षों ने ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः कब्जे की अनिश्चितता को देखते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रिसीवरी स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि ख.न. 171 रकबा 4.11 बीघा वाके ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। रिसीवर तहसीलदार उक्त भूमि को कब्जे राज में लेकर नियमानुसार फसल नीलामी की व्यवस्था कर नीलामी राशि राजकोष में जमा करावे। रिसीवर तहसीलदार सिकराय को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। ह० उप खण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	

Scanned by CamScanner